

समाज कल्याण विभाग  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  
जीएलएनएस कॉम्प्लेक्स, दिल्ली गेट, नई दिल्ली-02  
(प्रश्न शाखा)

फा.स.59.(60)/स.क.वि./पी.आर.ओ./वि.स.प्र./2021.22/पार्ट-1/18237-18239 दिनांक: 30 DEC 2021

सेवा में

✓ श्रीमान उप-सचिव (प्रश्न शाखा)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

दिल्ली-110054


विषय- अतारांकित प्रश्न संख्या- 162 दिनांक 04.01.2022

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में दिल्ली विधान सभा से प्राप्त ई-मेल दिनांक 27.12.2021 जो कि इस विभाग से संबंधित है।

अंतः सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के उपरांत उत्तर प्रेषित किए जाते हैं।

भवदीय




उप-निदेशक (दिव्यांगजन /आरजीओ)

संलग्न-उपरोक्तानुसार

फा.स.59.(60)/स.क.वि./पी.आर.ओ./वि.स.प्र./2021.22/पार्ट-1/18237-18239 दिनांक: 30 DEC 2021

1.निदेशक, सूचना एवं प्रसार निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली-1100054.

2.सचिव, माननीय मंत्री (समाज कल्याण), दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली-02.



उप-निदेशक (दिव्यांगजन/आरजीओ)

समाज कल्याण विभाग  
मूक एवं बधिर विद्यालय परिसर  
दिल्ली गेट, नई दिल्ली-110002

अतारांकित प्रश्न संख्या - 162

दिनांक - 04/01/2022

प्रश्नकर्ता - श्री शोएब इकबाल

क्या माननीय समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

	प्रश्न	उत्तर
(क)	विगत तीन वर्षों से वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान रोक दिया गया है, इसके क्या कारण हैं ;	वृद्धावस्था पेंशन नियमित रूप से पेंशनधारियों के खाते में प्रेषित की जा रही है ।
(ख)	क्या कारण है कि पहले की भौति काजी द्वारा जारी मुस्लिम तलाकनामा के आधार पर तलाक पेंशन का भुगतान न करके उसके स्थान पर न्यायालय द्वारा जारी तलाक के दस्तावेज माँगे जा रहे हैं, जिसके कारण तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को परेशानी हो रही है ; और	समाज कल्याण विभाग से संबंधित नहीं है । अतः संबंधित विभाग से सूचना एकत्र की जा रही है ।
(ग)	"ऑरफन पेंशन" के लिये पेंशन कार्यालय द्वारा अनाथ के नाम पर राशन कार्ड की माँग की जाती है, जो आसानी से उपलब्ध नहीं होते । इस समस्या के समाधान हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?	समाज कल्याण विभाग से संबंधित नहीं है । अतः संबंधित विभाग से सूचना एकत्र की जा रही है ।

Deputy Director (FAS)  
Department of Social Welfare  
Govt. of NCT of Delhi